राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 178/2012

हरिकेश मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.03.2012

आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की दिल्ली नगर निगम की सेवाएं दिनांक 30.08.1989 से 11.07.1991 तक की अवधि को पेंशन एवं पेंशनर्स लाभ में जोडा जाए तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिल्ली नगर निगम में दिनांक 30.08.1989 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और दिनांक 11.07.1991 तक सेवाएं दी। अपीलार्थी ने सहायक अभियंता के पद के लिए राजस्थान राज्य में आवेदन किया, जिसमें अपीलार्थी का चयन सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर हुआ। तदुपरान्त अपीलार्थी दिनांक 11.07.1991 को दिल्ली नगर निगम से कार्यमुक्त हुआ और

दिनांक 01.10.1991 को सहायक अभियंता के पद पर अपीलार्थी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार में कार्यग्रहण किया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.01.1984 को अधिसूचना जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो कार्मिक राज्य सरकार में अस्थायी आधार पर अथवा केन्द्र सरकार में कार्यरत हैं अथवा स्वशाषी संस्थाओं में कार्यरत हैं, जिन्होंने प्राधिकारी की सहमति आधार पर प्रॉपर चैनल के माध्यम से राज्य सरकार में नियुक्ति प्राप्त की है। उनकी सेवाओं की अवधि जोडी जाएगी, परंतु अपीलार्थी की सेवा अवधि को राज्य सरकार के पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग द्वारा उक्त लाभ बाबत् नहीं जोडी गई, जो उक्त अधिसूचना के विपरीत है। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 16.08.2010 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका कथन है कि श्री हरजीत सिंह जिन्होंने रेल्वे बोर्ड में सेवाएं दी और तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यग्रहण किया, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उनकी पूर्व की सेवाओं की अवधि को पेंशन एवं पेंशनर लाभ के लिए जोडा गया और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 05.03.2012 को प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया और अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की दिल्ली नगर निगम की सेवाएं दिनांक 30.08.1989 से 11.07.1991 तक की अवधि को पेंशन एवं पेंशनर्स लाभ में जोडा जाए तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राज्य सेवा से पूर्व स्वायत्तशासी संस्थाओं में की गई सेवाओं को राज्य सेवाओं में जोडे जाने का राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है और अपीलार्थी को पत्र दिनांक 29.10.2010 के द्वारा अवगत करा दिया गया था कि स्वायत्तशासी संस्थाओं में की गई सेवाओं को राज्य सेवा में जोडे जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। आदेश दिनांक 25.01.1984 में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार एवं राज्य सरकार से केन्द्र सरकार में सेवा देने पर पूर्व की सेवाएं पेंशन हेतु मान्य है न कि स्वायत्तशासी संस्थाओं में की गई सेवाओं के लिए। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि एवं नियमों के विरूद्ध है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिल्ली नगर निगम में दिनांक 30.08.1989 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और दिनांक 11.07.1991 तक सेवाएं दी और राजस्थान राज्य सरकार में दिनांक 01.10.1991 को सहायक अभियंता के पद पर अपीलार्थी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यग्रहण किया। जहां तक अपीलार्थी की पूर्व की सेवाएं (दिल्ली नगर निगम में दिनांक 30.08.1989 से 11.07.1991 तक) की अवधि को पेंशन एवं पेंशनर्स लाभ में नहीं जोडे जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी दिल्ली नगर निगम जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था है और दिल्ली नगर निगम की स्वायत्तशासी संस्था की सेवा अवधि को राज्य सेवा में जोडे जाने का राजस्थान पेंशन नियम, 1996 में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी द्वारा चाहा गया उक्त अनुतोष नियम एवं विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)